उत्तर प्रदेश सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
(गीत नाट्य)
संख्या:319/सू0एवंज0सं0वि0(गी0ना0)–01/2015
लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2015

:: कार्यालय ज्ञाप ::

उत्तर प्रदेश शासन, सूचना अनुभाग–2 के शासनादेश सं0–108/उन्नीस–2–2015–42 /2001, दिनॉक 17 मार्च, 2015 द्वारा सूचना विभाग की सांस्कृतिक दलों के पंजीकरण एवं संचालन नियमावली–2001 में निम्नॉकित तालिका में उल्लिखित स्थिति के अनुसार संशोधन स्वीकार किया गया है :–

पृष्ठ संख्या /कमॉक	वर्तमान प्राविधान	स्थापित संशोधन
1	2	3
पृष्ठ संख्या –04 कमॉक–03	प्रत्येक तीन वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में दलों के पंजीकरण हेतु विज्ञापन दिया जायेगा।	प्रत्येक एक वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में दलों के पंजीकरण हेतु विज्ञापन दिया जायेगा। इसमें चयनित दलों की बैधता तीन साल रहेगी।
पृष्ठ संख्या –06 कमॉक–02	एक दिन में केवल एक कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा। विशेष परिस्थितियों में जिलाधिकारी, उप निदेशक, सहायक निदेशक, जिला सूचना अधिकारी के आदेश प्राप्त कर एक दिन में दो कार्यक्रम भिन्न–भिन्न स्थानों व समय पर किये जा सकते हैं।	एक दिन में दो कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा। विशेष परिस्थितियों में जिलाधिकारी, उप निदेशक, सहायक निदेशक, जिला सूचना अधिकारी के आदेश प्राप्त कर एक दिन में तीन कार्यक्रम भिन्न–भिन्न स्थानों व समय पर किये जा सकते हैं।

सांस्कृतिक दलों की गतिविधियों को और अधिक समीचीन बनाये जाने को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सांस्कृतिक दलों के पंजीकरण एवं संचालन नियमावली–2001 में उपरोक्तानुसार किये गये संशोधन को सूचना विभाग में एतद्द्वारा लागू किया जाता है।

उपरोक्त संशोधन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

(आशुतोष निरंजन)
आई0ए0एस0
सूचना निदेशक।

संख्या: /सू0एवंज0सं0वि0(गी0ना0)–01/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 – समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2 – समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3 – समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
4 – महालेखाकार, इलाहाबाद, उ0प्र0।
5 – अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, सूचना।
6 – समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक एवं समकक्ष अधिकारी, सूचना निदेशालय।
7 – समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला सूचना अधिकारी/प्रभारी जिला सूचना अधिकारी, जिला सूचना कार्यालय, सूचना विभाग, उ0प्र0।
8 – वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, सूचना निदेशालय।
9 – समस्त जनपदीय वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/प्रभारी कोषाधिकारी, उ0प्र0।
10– समस्त प्रभागाध्यक्ष सूचना निदेशालय, लखनऊ।
11– गार्ड फाइल हेतु।

(आशुतोष निरंजन)
आई0ए0एस0
सूचना निदेशक।

सांस्कृतिक दलों की पंजीकरण एवं संचालन नियमावली–2001
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश –

उद्देश्य –शासन की नीतियों, निर्णयों, उपलब्धियों तथा कार्यकलापों के प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न विधाओं के सांस्कृतिक दलों का पंजीकरण एवं संचालन।

कार्य क्षेत्र –सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश यथा आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश के बाहर।

:: परिभाषा ::

विषय और संदर्भ से यदि अन्य अर्थ न निकलता हो तो निम्नलिखित शब्दों का अर्थ वही है जो उनके सामने दिया जा रहा है :–

(क) ''राज्य'' का अर्थ है उत्तर प्रदेश राज्य।
(ख) ''सरकार'' का अर्थ है उत्तर प्रदेश सरकार।
(ग) ''सचिव'' का अर्थ है सूचना सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(घ) ''निदेशक'' का अर्थ है निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
(ड़) ''विभाग'' का अर्थ है सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
(च) ''सॉस्कृतिक दल'' का अर्थ है सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन पंजीकृत सांस्कृतिक दल।

पंजीकरण हेतु नियम व शर्तें –

1 – विभिन्न विधाओं के सांस्कृतिक दलों के लिए कलाकारों की संख्या निम्नवत् होनी चाहिए:–

विधा	मुख्य कलाकार	अतिरिक्त कलाकार
(क)आल्हा,भजन,कब्बाली	4 (एक महिला कलाकार को वरीयता)	एक
(ख) कठपुतली	3 –तदैव–	एक
(ग) जादू	3 –तदैव–	एक
(घ) लोकगीत / बिरहा	6 (दो महिला कलाकार)	2 (एक महिला कलाकार)
(च) लघु सांस्कृतिक दल	8 (दो महिला कलाकार)	2 (एक महिला कलाकार)
(छ) वृहद सांस्कृतिक दल	12 (चार महिला कलाकार)	4 (दो महिला कलाकार)
(ज) नाटक / नौटंकी	12 (चार महिला कलाकार)	4 (दो महिला कलाकार)

चयन समिति में उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के विधा विशेषज्ञ अधिकारी होंगें। विशेषज्ञ के रूप में भाग लेने वाले अधिकारी निम्नलिखित विभागों के होगें :–

1 – निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष
2 – आकाशवाणी, लखनऊ सदस्य
3 – दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ सदस्य
4 – राज्य मद्य निषेध अधिकारी, लखनऊ सदस्य
5 – भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, लखनऊ सदस्य
6 – युवा कल्याण निदेशालय, लखनऊ सदस्य
7 – उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी, लखनऊ सदस्य

8 – उप निदेशक, गीत नाट्य प्रभाग, भारत सरकार लखनऊ सदस्य
9 – उप निदेशक, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, भारत सरकार लखनऊ सदस्य
10– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ सदस्य
11– उप निदेशक(गीत–नाट्य), सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ0प्र0 सचिव/संयोजक

3 – आवेदन–पत्र

1. प्रत्येक 3 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख समाचार–पत्रों में दलों के पंजीकरण हेतु विज्ञापन दिया जायेगा।
2. पंजीकरण हेतु दलों को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–1) में आवेदन करना होगा। दल नेता द्वारा भरे गये आवेदन–पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
3. दल के चयन/साक्षात्कार के समय''दल विवरण एवं प्रदत्त घोषणा–पत्र'' (परिशिष्ट–2) भरना अनिवार्य होगा।
4. दलों के चयन/साक्षात्कार हेतु विषय आवेदन–पत्र के साथ ही लिये जायेंगें।
5. चयन/साक्षात्कार हेतु प्रत्येक दल को 15 मिनट का समय दिया जायेगा।
6. चयन/साक्षात्कार में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चयन समिति द्वारा अंक दिये जायेंगें–
   (क) मंच व्यवस्था, मंच सामग्री।
   (ख) वेश–भूषा।
   (ग) संगीत पक्ष।
   (घ) विषय की समझ।
   (ड़) प्रस्तुतीकरण।
7. दल को चयन साक्षात्कार हेतु वाद्य यंत्रों सहित पूर्णरूपेण तैयार होकर आना होगा।
8. किसी भी दशा में किसी भी दल का पंजीकरण चयन समिति के समक्ष बिना प्रस्तुत हुए निर्धारित अवधि के पहले नहीं होगा।
9. किसी भी तरह की अनुशंसा दल की अयोग्यता मानी जायेगी।

4 – श्रेणी का निर्धारण

चयन समिति सांस्कृतिक दलों के प्रस्तुतीकरण के आधार पर 3 श्रेणियों (अ,ब,स) में विभाजित कर पंजीकरण किये जाने का प्राविधान है।

सांस्कृतिक दलों के प्रस्तुतीकरण के आधार पर प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर तीन श्रेणियॉ निर्धारित हैं। निर्धारित श्रेणियों का विवरण निम्नवत हैः–

प्राप्तॉक प्रतिशत	श्रेणी
(क) 81 प्रतिशत व इससे अधिक अंक पाने वाले दल	अ
(ख) 66 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अंक पाने वाले दल	ब
(ग) 50 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक अंक पाने वाले दल	स

5. दल की विधावार दर का विवरण –

(समय–समय पर मंहगाई को देखते हुए परिवर्तनीय)

विभिन्न विधाओं के दलों के प्राप्तॉक प्रतिशत के आधार पर दर का विवरण निम्नवत् हैः–

दल का विवरण	अ	ब	स
1. आल्हा / भजन / कब्बाली / 2. कठपुतली	1050 / –	900 / –	750 / –
3. जादू	1500 / –	1300 / –	1100 / –
4. लोकगीत / बिरहा	1400 / –	1200 / –	1000 / –
5. लघु सॉस्कृतिक दल	1600 / –	1400 / –	1200 / –
6. वृहद सांस्कृतिक दल	2000 / –	1800 / –	1600 / –
7. नाटक / नौटंकी	3000 / –	2500 / –	2000 / –

6– चयनित दलों के लिए नियम व शर्तें

1. प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि 2 से 3 घण्टे होगी। कार्यक्रम शासन की नीतियों, निर्णयों एवं उपलब्धियों पर आधारित होगा। समय–समय पर कार्यक्रम सम्बन्धी आलेख प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
2. एक दिन में केवल एक कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा। विशेष परिस्थितियों में जिलाधिकारी, उप निदेशक, सहायक निदेशक, जिला सूचना अधिकारी से आदेश प्राप्त कर एक दिन में दो कार्यक्रम भिन्न–भिन्न स्थानों व समय पर किये जा सकते हैं।
3. कार्यक्रम के समय दल नेता का होना अनिवार्य है।
4. पंजीकृत दल को कार्यक्रम शासकीय आवश्यकता एवं उचित मॉग के अनुसार ही आवंटित किये जायेगें। दल को कार्यक्रम करने के लिए प्रदेश के किसी भी भाग में भेजा जा सकता है।
5. कार्यक्रम आयोजन से संबंधित 'प्रदर्शन प्रमाण पत्र' जिलाधिकारी, विभागीय उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला सूचना अधिकारी का मान्य होगा। इन अधिकारियों की अनुपस्थिति में ही अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी प्रदर्शन प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। प्रदर्शन प्रमाण पत्र में उनको यह अंकित करना होगा कि उप निदेशक, सहायक निदेशक, जिला सूचना अधिकारी, जिलाधिकारी जिले में उपस्थित नहीं हैं। सक्षम अधिकारी से प्राप्त प्रदर्शन प्रमाण पत्र के साथ दल को अपने पारिश्रमिक के भुगतान हेतु 15 दिन के अन्दर कार्यालय द्वारा निर्धारित मुद्रित देयक पर ही प्रस्तुत करना होगा। मा0 विधायक, मा0सांसद, मा0 मंत्रीगण द्वारा मॉगे गये कार्यक्रम से संबंधित प्रदर्शन प्रमाण पत्र भी उन्हीं का मान्य होगा।
6. दल नेता द्वारा दल के कलाकारों की दस ग्रुप फोटोग्राफ(कैबिनेट साइज) एवं सभी कलाकारों की एक–एक टिकट साइज(डेढ़ बाई डेढ़ इंच) फोटो सहमति–पत्र के साथ जमा करनी होगी।
7. दल को विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम करने से संबंधित उस स्थान पर जहॉ कार्यक्रम किया जा रहा है। 'फीडबैक रिपोर्ट' तथा संबंधित संस्था के आयोजन के उद्घाटन के समय दल के सभी कलाकार शामिल हों 'फोटोग्राफ्स' भी

बिल के साथ लगाना अनिवार्य है। फीडबैक रिपोर्ट संतोषजनक होने पर ही बिल का भुगतान किया जायेगा। फीडबैक रिपोर्ट का प्रोफार्मा (परिशिष्ट–3)

8. दल के किसी भी कलाकार को बदलने का अधिकार केवल निदेशक/सक्षम अधिकारी को होगा।
9. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 से पंजीकृत सॉस्कृतिक दल से ही विश्व बैंक परियोजना तथा सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थान कार्यक्रम करायेंगें।
10. विभाग में पंजीकृत सभी सांस्कृतिक दलों के लिए दुर्घटना बीमा कराना अनिवार्य है।
11. सांस्कृतिक दलों को उ0प्र0 के किसी भी भाग में कार्यक्रम करने के लिए दल द्वारा सहमति देने पर अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर अनिवार्य रूप से जाना होगा। आवंटित कार्यक्रम न करने पर दल का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।
12. कार्यशाला के लिए नोडल विभाग, सूचना विभाग होगा। कार्यशाला पर आने वाला व्यय संबंधित विभाग वहन करेगा। कार्यशाला के बाद संबंधित विभाग प्रशिक्षित दलों से कार्यक्रम करायेगा और अपने स्तर से भुगतान भी करेगा।
13. वित्तीय वर्ष में यदि कोई दल तीन बार कार्यक्रम करने से मना करता है, तो उसके दल को भविष्य में कार्यक्रम देना बन्द कर दिया जायेगा तथा पंजीकरण निरस्त करने पर भी विचार किया जायेगा।
14. अल्प सूचना पर भी दल को आवंटित किये गये कार्यक्रम को करना अनिवार्य होगा।
15. विभाग में पंजीकृत दल को कार्यक्रम आवंटित किया जाना अनिवार्य नहीं है। दल का यह अधिकार नहीं होगा कि दल का पंजीकरण होने पर उनको कार्यक्रम आवंटित ही किये जाएं। कार्यक्रम प्रचार–प्रसार की आवश्यकता को देखते हुए ही आवंटित किये जायेगें।
16. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला सूचना अधिकारी द्वारा दल के सभी कलाकारों के परिचय–पत्र देखे जायेंगें, जिस दल के पास परिचय–पत्र नहीं होगें, उस दल से कार्यक्रम न कराया जाए तथा दल को वापस कर दें, जिसका किसी भी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।

7 –रेलवे रियायती प्रमाण–पत्र

कलाकारों को कार्यक्रम के समय 300 किलोमीटर से ऊपर यात्रा करने के रेल भाड़े में छूट पाने के लिए सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में आवेदन करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा एक प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दल को कम से कम 3 दिन पूर्व आवेदन करना होगा।

8 – परिचय–पत्र

चयनित दलों को विभाग द्वारा परिचय–पत्र जारी किये जायेंगे, जिसे शासकीय विभाग के कार्यक्रम करते समय कलाकारों को रखना अनिवार्य होगा।

9 –निम्नलिखित परिस्थितियों में दल का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है :–

1. विभाग द्वारा शासन की नीतियों, निर्णयों एवं उपलब्धियों का प्रचार–प्रसार करने वाले दल की मान्यता किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार सूचना

निदेशक का होगा। दल का किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण भी किया जा सकता है। दल में अनुमोदित कलाकारों द्वारा कार्यक्रम न किये जाने पर, कार्यक्रम का प्रदर्शन स्तर गिरने पर दल से स्पष्टीकरण मॉगा जा सकता है। संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर दल को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।

2. दल के पंजीकरण अवधि के भीतर कार्यक्रम एवं प्रदर्शन स्तर का पुनः निरीक्षण करने के लिए किसी भी तिथि अथवा स्थान या मुख्यालय पर बुलाया जा सकता है। इस प्रदर्शन में दल के वे सभी कलाकार सम्मिलित होंगें जो परीक्षण/साक्षात्कार के समय थे, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी व्यय दल को देय नहीं होगा। कार्यक्रम का प्रदर्शन स्तर गिरा होने पर दल का निर्धारित अविध से पहले पंजीकरण समाप्त करने अथवा बनाये रखने का अधिकार सूचना निदेशक/सक्षम अधिकारी को होगा।
3. दल द्वारा अपने सहमति तथा कार्यादेश प्राप्त करने के बाद यदि कार्यक्रम नहीं किया जाता है, तो दल नेता से स्पष्टीकरण मॉगा जायेगा, संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर सूचना निदेशक/सक्षम अधिकारी के निर्णयानुसार उक्त कार्यक्रम के आयोजन हेतु हुए व्यय की वसूली दल नेता से की जायेगी तथा भविष्य में दल को कार्यक्रम देना बन्द कर दिया जायेगा, साथ ही दल का पंजीकरण भी निरस्त किया जा सकता है।
4. विभाग द्वारा पंजीकृत दल अनुमोदित कार्यक्रम के स्थान पर फूहड़ और अश्लील कार्यक्रम का प्रदर्शन करने पर तथा विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों का निरीक्षण उप निदेशक/सहायक सूचना निदेशक/जिला सूचना अधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने के उपरान्त असंतोषजनक रिपोर्ट पर दल का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।

10–**आयोजकों के लिए नियम**

1. आयोजक द्वारा दल के कार्यक्रम के समय उनके आवास, भोजन, सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी तथा दल के आने–जाने का मार्ग व्यय भी वहन करना होगा।

2. छोटे–छोटे विद्यालय अपने उत्सव के दिन विभाग से कार्यक्रम करवाये जाने के लिए आवेदन करते हैं। विद्यालयों को उक्त अवसर पर विभाग द्वारा कार्यक्रम देकर किसी भी प्रकार का लाभ इस परियोजना को नहीं मिलता है। विद्यालयों को वृहद सांस्कृतिक कार्यक्रम न देकर शिक्षात्मक पपेट या जादू कार्यक्रम दिया जा सकता है। अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष परिस्थितियों में अपवादस्वरूप आयोजित किये जा सकते हैं।
3. आयोजक की मॉग पर ही विभाग कार्यक्रम आवंटित करता है। आयोजक विभाग के नाम का उल्लेख अपनी प्रचार सामग्री में अवश्य करें। विभाग द्वारा भेजा जाने वाला दल भी विभाग के नाम का बैनर आयोजन स्थल पर अवश्य लगायें।
4. कार्यक्रम मॉगकर्ता अपने लेटर–हेड पर ही कार्यक्रम की मॉग करें। जिलों की मॉग संबंधित जिलों के जिला सूचना अधिकारियों के माध्यम से ही भेजील जाय। ग्राम प्रधान व ब्लाक प्रमुख अपने मॉग पत्र सीधे भी भेज सकते हैं।

5. विभागीय कर्मचारी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए प्रस्तुत किये गये मॉग पत्र पर यह सत्यापित करना होगा कि वह अपने देख–रेख में कार्यक्रम करवायेगा।

6. मॉगकर्ता को कम से कम 15 दिन पूर्व अपना आवेदन पत्र देना होगा, तभी दल भेजना संभव होगा।

7. दलनेता द्वारा कार्यादेश प्राप्त करने के बाद बगैर किसी सूचना के कार्यक्रम न करने की स्थिति में मॉगकर्ता द्वारा विभाग से शिकायत करने पर दल का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है। केवल दैवीय आपदा वाले मामले में यह लागू नहीं होगा।

8. गैर–पंजीकृत बाहरी दलों से सांस्कृतिक कार्यक्रम न कराये जाएं।

जिला मुख्यालय के सांस्कृतिक दलों के लिए नियम एवं शर्तें–

जिलों में जिला सूचना विभाग द्वारा विभिन्न विधाओं में सांस्कृतिक दलों का पंजीकरण करने के लिए नियम एवं शर्तें निम्नवत् होंगी :–

1. दल में विधावार कलाकारों की संख्या

क0 सं0	विधा	मुख्य कलाकार	अतिरिक्त कलाकार
1	आल्हा / भजन / कब्बाली	4	1
2	कठपुतली / जादू	3	1
3	लोकगीत / बिरहा	6	2
4	लघु सांस्कृतिक दल	6	2
5	बृहद सांस्कृतिक दल	12	4
6	नाटक / नौटंकी	12	4

2 –**चयन समिति**

जिलों में सांस्कृतिक दलों के चयन के लिए चयन समिति निम्नवत् होगी :–

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
3.	शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
4.	युवा कल्याण विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला सूचना अधिकारी	सचिव / संयोजक

6. उप निदेशक(गीत–नाट्य) सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ को विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया जायेगा।

3 – आवेदन पत्र

1. प्रत्येक 3 वर्ष के बाद सांस्कृतिक दलों का चयन किया जायेगा, जिसका विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा।

2. पंजीकरण हेतु विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप(परिशिष्ट–1) में आवेदन करना होगा। दलनेता द्वारा भरे गये आवेदन–पत्र में किसी भी प्रकार की त्र1टि होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
3. दल के चयन/साक्षात्कार के समय''दल विवरण एवं घोषणा पत्र'' (परिशिष्ट–2) भरना अनिवार्य है।
4. दलों के चयन/साक्षात्कार हेतु विषय आवेदन–पत्र के साथ ही दिये जायेगें।
5. चयन/साक्षात्कार हेतु प्रत्येक दल को 15 मिनट का समय दिया जायेगा।
6. चयन/साक्षात्कार में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चयन कमेटी द्वारा नम्बर दिये जायेंगें :–

(क) मंच व्यवस्था, मंच सामग्री
(ख) वेश–भूषा
(ग) संगीत पक्ष
(घ) विषय की समझ
(ड़) प्रस्तुतीकरण

7. दल को चयन/साक्षात्कार के लिए वाद्ययंत्रों सहित पूर्ण रूप से तैयार होकर आना होगा।

5 – श्रेणी का निर्धारण

चयन समिति सांस्कृतिक दलों के प्रस्तुतीकरण के आधार पर 3 श्रेणियों–अ, ब,स में पंजीकृत किये जायेगें।

सांस्कृतिक दलों द्वारा प्रस्तुतीकरण के आधार पर प्राप्तॉक प्रतिशत के आधार पर 3 श्रेणियों में स्तर निर्धारित हैं।

प्राप्तॉक प्रतिशत	श्रेणी
(अ) 81 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले दल	अ
(ब) 66 प्रतिशत से 80 प्रतिशत अंक पाने वाले दल	ब
(स) 50 प्रतिशत से 65 प्रतिशत अंक पाने वाले दल	स

6 – दल की विधावार दर विवरण

विभिन्न विधाओं में पंजीकृत दल के प्राप्तॉक प्रतिशत के आधार पर दर क विवरण निम्नवत् है, जो समय–समय पर मंहगाई को देखते हुए परिवर्तनीय होगा।

दल का विवरण	अ	ब	स
(क) आल्हा/भजन/कब्बाली/ कठपुतली	900/–	700/–	500
(ख) जादू	1100/–	950/–	800
(ग) लोकगीत/बिरहा	1200/–	1000/–	800
(घ) लघु सॉस्कृतिक दल	1400/–	1200/–	1000
(ड़) वृहद सांस्कृतिक दल	1800/–	1600/–	1400
(च) नाटक/नौटंकी	2000/–	1800/–	1600

7 – चयनित दलों के लिए नियम एवं शर्तें

1. प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि 2 से 3 घण्टे होगी। कार्यक्रम शासन की नीतियों, निर्णयों पर आधारित होगा।
2. एक दिन में केवल एक ही कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा। विशेष परिस्थितियों में जिलाधिकारी या उप निदेशक, सहायक निदेशक, जिला सूचना अधिकारी से

आदेश प्राप्त कर एक दिन में दो कार्यक्रम भिन्न–भिन्न स्थानों एवं समय पर किये जा सकते हैं।

3. प्रत्येक कार्यक्रम में दलनेता का उपस्थित होना अनिवार्य है।
4. पंजीकृत दल को कार्यक्रम शासकीय आवश्यकता एवं उचित मॉग के अनुसार ही आवंटित किये जायेंगें।
5. कार्यक्रम का प्रदर्शन प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति सदस्य द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र पर खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। तभी भुगतान किया जायेगा।
6. दल के किसी भी कलाकार को बदलने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
7. जिला सूचना कार्यालय में पंजीकृत दल जिलों के अन्य विभागों से कार्यक्रम के लिए मान्य होंगें।

8 – परिचय–पत्र

जिले में चयनित सांस्कृतिक दलों को जिले स्तर पर परिचय पत्र जारी किये जायेगें, जिससे कार्यक्रम के समय दल के कलाकारों को कार्यक्रम स्थल पर जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

9 – जिला सूचना अधिकारियों को निर्देश

1. जिला सूचना अधिकारियों द्वारा गीत–नाट्य से सम्बन्धित रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख तक भेजना अनिवार्य है।
2. किसी भी दशा में जिला योजना के कार्यक्रमों का भुगतान मुख्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा। जिला सूचना अधिकारी द्वारा सांस्कृतिक दलों से कराये गये कार्यक्रमों का भुगतान उसी वित्तीय वर्ष में कराया जाना अनिवार्य है। अगर धन उपलब्ध न हो तो कार्यक्रम कराकर देनदारी न बढ़ायें।

10– निम्नलिखित परिस्थितियों में दल का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है –

1. शासन की नीतियों, निर्णयों एवं उपलब्धियों का प्रचार–प्रसार करने वाले दल की मान्यता किसी भी समय रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी का होगा। दल का किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण भी किया जा सकता है। दल के अनुमोदित कलाकारों द्वारा कार्यक्रम न किये जाने पर प्रदर्शन स्तर गिरने पर उनसे स्पष्टीकरण मॉगा जा सकता है। संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर दल का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।
2. अनुबन्धित अवधि के भीतर कार्यक्रम एवं प्रदर्शन स्तर पुनः निरीक्षण करने पर कार्यक्रम का प्रदर्शन गिरा होने पर पंजीकरण अवधि से पूर्व समाप्त करने अथवा बनाये रखने का अधिकार सक्षम अधिकारी का होगा।
3. दल द्वारा कार्यादेश प्राप्त करने के उपरान्त यदि कार्यक्रम नहीं किया गया तो दलनेता से स्पष्टीकरण मॉगा जायेगा। संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उक्त कार्यक्रम हेतु व्यय किया गया धन सक्षम अधिकारी द्वारा दल नेता से वसूल किया जायेगा तथा भविष्य में कार्यक्रम देना बन्द कर दिया जायेगा।

11– आयोजकों के लिए नियम

1. आयोजक द्वारा दल के कार्यक्रम के समय उनके आवास, भोजन तथा सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी।

2. छोटे–छोटे विद्यालयों में शिक्षात्मक कार्यक्रम के लिए केवल कठपुतनी तथा जादू के कार्यक्रम कराये जाएं। विशेष परिस्थितियों में अपवादस्वरूप अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम कराये जा सकते हैं।
3. आयोजन की मॉग पर ही विभाग कार्यक्रम आवंटित करता है। आयोजक द्वारा विभाग के नाम का उल्लेख अपनी प्रचार सामग्री में अवश्य किया जाय। विभाग द्वारा भेजा जाने वाला दल भी विभाग के नाम का बैनर अवश्य लगायें।
4. कार्यक्रम मांगकर्ता अपने लेटर–हेड पर ही कार्यक्रम की मांग करें।
5. विभागीय कर्मचारी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मांगपत्र पर यह सत्यापित करना होगा कि वह अपने देख–रेख में कार्यक्रम करवाये।
6. मांगकर्ता को कम से कम 15 दिन पूर्व आवेदन करना होगा, तभी विभाग द्वारा दल भेजना संभव होगा।
7. दलनेता द्वारा कार्यादेश प्राप्त करने के बाद बगैर किसी सूचना के कार्यक्रम न करने की स्थिति में मांगकर्ता द्वारा शिकायत करने पर उस दल का पंजीकरण समाप्त किया जा सकता है। केवल दैवीय आपदा वाले मामले में यह लागू नहीं होगा।
8. आयोजक द्वारा दल के आने–जाने का व्यय भी वहन करना होगा।

–

<u>परिशिष्ट–1</u>

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
(गीत–नाट्य योजना)
<u>दल चयन हेतु आवेदन–पत्र</u>

फार्म संख्या..............................

1. दल का नाम..
2. दलनेता का नाम..
3. दलनेता का स्थाई पता...
   (पत्र व्यवहार हेतु)...
4. दूरभाष नं0...
5. दल की विधा...
6. दल के सदस्यों की संख्या.......................................महिला...................पुरूष..........
7. दलनेता की शैक्षिक योग्यता...
8. दल के प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र...
9. क्या दल पूर्व में पंजीकृत था?
   (यदि पंजीकृत था तो निम्न को भरा जाये)

अ. यदि कलाकार हटाये जा रहे हों तो कारण स्पष्ट करें...
ब. क्या सभी कलाकार पूर्व के ही हैं...
स. सभी कलाकारों के परिचय–पत्र संलग्न करें(फोटोप्रति)

10. आवेदन पत्र के साथ सभी कलाकारों के चरित्र प्रमाण पत्र की दो–दो प्रतियां (अलग–अलग राजपत्रित अधिकारियों की) जमा करना अनिवार्य है।
11. दल में शामिल कलाकारों का एक ग्रुप फोटोग्राफ आवेदन–पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है। आडीशन के समय यही कलाकार मान्य होंगें।
12. दल में शामिल सरकारी कर्मचारियों का कार्यरत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर संलग्न करना अनिवार्य है, जो आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न होगा।
13. आडीशन के लिए दी गयी तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि दल, दी गयी तिथि में उपस्थित नहीं होता है, तो उसे आडीशन में शामिल नहीं किया जायेगा।
14. दल को 15 मिनट का समय दिया जायेगा।
15. दल के बैंक का नाम..खाता सं...
16. पोस्टकार्ड साइज का ग्रुप फोटोग्राफ कृपया नीचे लगायें।
17. कलाकारों के नाम फोटो में नम्बरिंग करके तद्नुसार नीचे लिखें।

1	7
2	8
3	9
4	10
5	11

6 12

अतिरिक्त कलाकार

1 3

2 4

नोटः— चार कलाकारों के दल हेतु एक अतिरिक्त, 6 से 8 कलाकारों के दल को 2 अतिरिक्त तथा 12 कलाकारों के दल को 4 अतिरिक्त कलाकार रखने हेतु अनुमति है।

<u>प्रमाण—पत्र</u>

(दल नेता द्वारा भरा जाये)

मै प्रमाणित करता हूँ कि मैने आपके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये सभी बिन्दुओं को सही रूप से भरा है तथा सभी वॉछित सामग्री संलग्न कर दी है। यदि मेरे आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो मेरे दल को आडीशन में शामिल न किया जाय। यदि किसी त्रुटि का बाद में पता चलता है तो पंजीकरण निरस्त कर दिया जाय। तमाम त्रुटियों के लिए मै स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।

दलनेता के हस्ताक्षर......................

दल नेता का नाम..........................

पता..

<u>आवश्यक निर्देश</u>

योग्यता परीक्षण के समय प्रत्येक दल को स्वास्थ्य शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, बाल अधिकार,नशा उन्मूलन (ड्रग्स एवं अन्य मादक पदार्थ), विकास और प्रगति, बच्चों का टीकाकरण, शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, बालिका शिक्षा, दहेज उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण आदि के अतिरिक्त समय—समय पर शासन की नीतियों के अनुरूप प्रचार गीत, नाटक, नृत्य, कठपुतली, जादू आदि विधाओं में तैयार कर प्रस्तुत करने होंगें। प्रस्तुति कलापूर्ण, आकर्षक व स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली होनी चाहिए।

———————————————————————————————

<u>प्राप्ति रसीद एवं प्रवेश—पत्र</u>

1. आपका आवेदन—पत्र आज दिनॉक...................................को प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र में ....कमी है। अतः आपका आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।
2. आपका आवेदन पत्र पूर्ण रूप से सही है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि आपका आडीशन दिनॉक...........................को...............................बजे सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, लखनऊ (मुख्यालय) के आडीटोरियम में होगा। कृपया समय से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इस आडीशन में शामिल होने के लिए आपको किसी भी प्रकार का मार्ग—व्यय आदि देय नहीं होगा।

उप निदेशक।

परिशिष्ट–2

गीत–नाट्य योजना
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परीक्षण तिथि...................................

दल विवरण एवं प्रदत्त घोषणा–पत्र

दल का नाम एवं पता ....
दल नेता का नाम ....
दल की विधा ....
दल के सदस्यों की संख्या.............................(अ) पुरूष.......................(ब)महिला........

क्र0सं0	कलाकार का नाम	आयु	हस्ताक्षर

1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12

अतिरिक्त कलाकार

1
2
3
4

.................................अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी सत्य है। मेरे द्वारा...................आवेदन पत्र एवं इस घोषणा–पत्र में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो पूर्णरूप से मै जिम्मेदार हाऊँगा।

दल नेता के हस्ताक्षर.................................
दल नेता का नाम.......................................
दल का नाम...
पता...

आपके दल में यदि कोई शासकीय सेवारत हो तो अपने पद एवं विभाग के नाम का भी उल्लेख निम्नानुसार करे। साथ ही यह भी घोषणा करें कि उसने सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया है।

कलाकार कर्मचारी का नाम तथा कार्यरत विभाग

1...
2...
3..
4..

दलनेता के हस्ताक्षर..
दलनेता का नाम..

परिशिष्ट–3

उत्तर प्रदेश सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
(गीत एवं नाट्य प्रभाग)
फीडबैक रिपोर्ट

1. दल का नाम...
2. दल के मुखिया का नाम...
3. कार्यक्रम की तिथि..
4. समय..
5. विषय..
6. कार्यक्रम का स्थान...
7. जिला..
8. दर्शक संख्या लगभग..
9. विधा..
10. किसके सहयोग से कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया.......................................
11. कार्यक्रम के प्रति जन प्रतिकिया...
12. विकास योजनाओं का नाम जिसका व्यक्ति को पूर्णरूप से ज्ञान हो..................
13. योजना का नाम जिससे व्यक्ति लाभार्थी हो...
14. योजना के विषय में विचार...
15. विकास योजनाओं के विषय में सामान्य विचार...
16. ग्रामसभा में चल रही योजनाओं के विषय में जिसका ज्ञान व्यक्ति को हो........
17. योजना विकास व्यक्ति की आशाएं...
18. कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों की संख्या(महिला/पुरूष)......................
19. कार्यक्रम के संबंध में राय(उत्तम/अति उत्तम/सर्वोत्तम/खराब)...................
20. वहॉ के दो प्रमुख व्यक्तियों के नाम, पते एवं हस्ताक्षर...
    1.
    2.
21. अन्य विवरण

प्रतिष्ठित व्यक्ति के हस्ताक्षर

दिनॉक............................

नाम/पद..
विभाग/स्थान.......................................

संख्याः—55/19—2—2001—42/2001

प्रेषक,

यू0के0एस0चौहान,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सूचना अनुभाग—2 लखनऊ : दिनॉक : 26 सितम्बर, 2001

विषयः— **सांस्कृतिक दलों के पंजीकरण एवं संचालन नियमावली—2001**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ0प्र0 के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन की योजनाओं, नीतियों, निर्णयों तथा उपलब्धियों की जानकारी प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों में पहुॅचाने में गीत एवं नाट्य योजना एक सशक्त एवं जीवन्त माध्यम है, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई स्थायी नियम न होने के कारण प्रचार एवं प्रसार कार्य को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने में कठिनाई अनुभव की गयी है।

2 — अतएव उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल ''सांस्कृतिक दलों के पंजीकरण एवं संचालन नियमावली—2001'' (संलग्नक) जारी किये जाने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,
(यू0के0एस0चौहान)
विशेष सचिव

संख्या : 555(1)/19—2—2001—42/2001 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नॉकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
4. प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0।

7. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. सूचना अनुभाग–1
9. एक प्रति गार्ड फाइल हेतु।

हस्ताक्षर
(यू0के0एस0चौहान)
विशेष सचिव